

शिक्षा विभाग, राजस्थान

पंचांग: 2018–2019

राजस्थान की प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के समस्त राजकीय, मान्यता प्राप्त गैर सरकारी / CBSE / CISCE से सम्बद्ध विद्यालयों / अनाथ बच्चों हेतु संचालित आवासीय विद्यालयों / विशेष प्रशिक्षण शिविरों एवं शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों के लिए सत्र 2018–2019 का यह शिविरा पंचांग प्रस्तुत है। इसके अनुसार ही सत्रपर्यन्त विद्यालयी कार्यक्रम, अवकाश, परीक्षा, खेलकूद प्रतियोगिता आदि का आयोजन अनिवार्य है। किसी विशेष अवसर अथवा कार्यक्रम पर यदि किसी संस्था प्रधान को कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता हो, तो वह परिवर्तन सम्बन्धी निवेदन अपने क्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक / माध्यमिक) को प्रस्तुत करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक / माध्यमिक) मांग के औचित्य की जांच करेंगे तथा उनकी अनुशंषा पर निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर की स्वीकृति के बाद ही संस्था प्रधान द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा।

➤ सामान्य निर्देश :-

1. शिक्षण सत्र: 2018–19 दिनांक 01 मई, 2018 से आरम्भ है तथा सामान्य प्रवेश प्रक्रिया स्थानीय परीक्षा समाप्ति के तत्काल पश्चात दिनांक 26 अप्रैल, 2018 से आरम्भ हो चुकी है। कक्षा 5 के जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन, कक्षा–8 हेतु प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा व कक्षा–10 की बोर्ड परीक्षाओं में प्रविष्ट हुए विद्यार्थियों का अस्थाई प्रवेश बोर्ड परीक्षा के समाप्त होने के तत्काल पश्चात दिया जाकर आगामी कक्षाओं का शिक्षण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। ग्रीष्मावकाश उपरान्त पुनः नियमित शिक्षण कार्य 19 जून, 2018 से आरम्भ हो जाएगा।
2. प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई, 2018 रहेगी। (माध्यमिक कक्षाओं हेतु)
3. मध्यावधि अवकाश 29 अक्टूबर से 09 नवम्बर, 2018 तक रहेगा।
4. शीतकालीन अवकाश 25 दिसम्बर, 2018 से 07 जनवरी, 2019 तक रहेगा।
5. ग्रीष्मावकाश 10 मई, 2019 से 18 जून, 2019 तक रहेगा।
6. केन्द्र सरकार द्वारा समस्त राष्ट्र के लिए रेडियो / दूरदर्शन / समाचार पत्रों में घोषित अवकाश विद्यालयों में भी मान्य होंगे।
7. यदि किसी कारणवश रेडियो / दूरदर्शन / लिखित आदेश द्वारा राज्य में कोई सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाये, तो वह भी विद्यालयों में मान्य होगा।
8. यदि किसी वर्ग / कारण विशेष को आधार बनाकर या किसी विशेष दिन का सेवशनल / रीजनल अवकाश / स्थानीय अवकाश सरकार द्वारा घोषित किया जाये तो वह अवकाश सभी विद्यालयों में लागू नहीं होगा।
9. शिविरा पंचांग एवं राजस्थान सरकार के पंचांग में उल्लेखित समान अवकाश की तिथि में कोई विसंगति हो तो ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार के पंचांग की तिथि को सही मानते हुए इस पंचांग में वैसा ही संशोधन माना जाए।
10. सत्रारम्भ एवं सत्रान्त की संस्था प्रधान वाक्‌पीठ का आयोजन शिविरा पंचांग में निर्धारित अवधि में ही करवाया जाना आवश्यक होगा। उक्त आयोजन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा की अनुमति बिना नहीं किया जा सकेगा।
11. साप्ताहिक रूप से कक्षा 1 से 5 तक आयरन की पिंक गोली तथा कक्षा 6 से 12 के छात्र-छात्राओं को आयरन फोलिक एसिड की नीली गोली (ब्ल्यू) मध्यान्ह भोजन उपरान्त दी जाये।

➤ प्रवेश :-

1. कक्षा–1 में प्रवेश के समय राज्य सरकार द्वारा संशोधित प्रावधानानुसार विद्यार्थियों की आयु 5 वर्ष निर्धारित की गई है।
2. राज्य सरकार प्रवेश प्रक्रिया हेतु कोई निश्चित तिथि का निर्धारण कर सकती है। फिर भी आर.टी.ई. अधिनियम– 2009 के अनुसार बालक–बालिकाओं का विद्यालय में प्रवेश वर्ष पर्यन्त हो सकेगा।

3. राज्य कर्मचारी / माता—पिता / अभिभावक के स्थान परिवर्तन की स्थिति में स्थानान्तरण प्रमाण—पत्र के आधार पर विद्यार्थी को मध्य सत्र में प्रवेश दिया जा सकेगा।
4. यदि किसी परिस्थितिवश बोर्ड द्वारा रोके गये परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित किये जाते हैं तो विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम की घोषणा के सात दिवस के भीतर प्रवेश दिया जाए। प्रवेश के समय ही विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।
5. हाउस हॉल्ड सर्वे में आउट ऑफ स्कूल (OOSC) के रूप में चिन्हित बालक—बालिकाओं की मैनस्ट्रीमिंग हेतु अनामांकित बालक—बालिकाओं के माता—पिता / अभिभावकों से सम्पर्क कर उनका आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश कराना, उनके विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता का आकलन करना एवं आवश्यकतानुसार संघनित पाठ्यक्रम के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना सुनिश्चित किया जाए।
6. ड्रॉपआउट एवं अनामांकित विशेष आवश्यकता वाले बालक—बालिकाओं को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में नामांकन पश्चात, विद्यालय में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक—बालिकाओं का फंक्शनल असेसमेन्ट करवाया जाकर, पात्र बच्चों को सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत निःशुल्क अंग—उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे एवं होमबेर्ड एज्युकेशन से जोड़े गये बच्चों को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश सुनिश्चित किया जायेगा।
7. कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय एवं मेवात बालिका आवासीय / वैकल्पिक शिक्षा प्रकोष्ठ के अन्तर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों में अनामांकित एवं ड्रॉपआउट बालिकाओं को प्रवेश दिलवाया जाएगा। पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों (PEEO) की बैठक में चर्चा कर उनके सहयोग से परिक्षेत्र की पात्र बालिकाओं का उक्त विद्यालयों में प्रवेश करवाया जाए।
8. कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हेतु राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद कार्यालय के दिशा—निर्देशों के अनुरूप विद्यालय की कुल सीटों की 5 प्रतिशत सीटों पर विशेष आवश्यकता वाले बालक—बालिकाओं को प्रवेशित किए जाने हेतु विशिष्ट प्रयास किए जाएं।
9. ग्रीष्मावकाश एवं शीतकालीन अवकाश के दौरान विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाएगा।

➤ प्रार्थना सभा :-

प्रार्थना सभा कार्यक्रम हेतु 30 मिनट का समय निर्धारित है, जिसमें की जाने वाली गतिविधयां – राष्ट्रगीत, प्रार्थना, योगाभ्यास, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, समाचार वाचन, प्रतिज्ञा, राष्ट्रगान आदि हैं।

➤ विद्यालय प्रबन्धन :-

विद्यालय की व्यवस्था एवं प्रबन्धन, विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC/SDMC) द्वारा किया जाएगा। विद्यालय के सुचारू संचालन के लिए सर्व शिक्षा अभियान द्वारा निम्न सुविधाएं प्रदान की जाएगी :-

1. एक मुश्त स्कूल ग्रान्ट, जिसमें दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं जैसे चॉक, डस्टर, स्टेशनरी, परीक्षा संबंधित कार्य, दरी पट्टी आदि क्रय की जा सकती है। इस राशि में से शौचालय/मूत्रालयों की साफ—सफाई हेतु प्रतिमाह 150 रु. का उपयोग कर इनका उपयुक्त रख—रखाव सुनिश्चित किया जाए (केवल शहरी क्षेत्र के विद्यालयों के लिए)। जिला परियोजना समन्वयक (SSA एवं RMSA) द्वारा समस्त ग्रामीण विद्यालयों को 500 रु. प्रतिमाह की दर से 5000 रुपये वार्षिक (10 माह हेतु) शौचालय/मूत्रालय, पेयजल सुविधा के रख—रखाव तथा मध्याहन भोजन से पूर्व साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था एवं स्वच्छता हेतु स्वच्छता अनुदान राशि का वितरण प्रतिवर्ष किया जा रहा है।
2. प्रत्येक विद्यार्थी की "शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम" के अन्तर्गत स्वास्थ्य जाँच की जाए तथा रिकॉर्ड संधारित किया जाए।

➤ कालांशवार समय विभाजन :-

प्रतिदिन 8 कालांश में से कालांशवार समय विभाजन चक्र में 6 कालांश 40 मिनट एवं अंतिम 2 कालांश 35 मिनट के होंगे। प्रार्थना सभा एवं योगाभ्यास हेतु 30 मिनट का समय निर्धारित है। मध्यान्तर अवकाश 25 मिनट का होगा। विद्यार्थियों के शिक्षण हेतु कुल शाला समय 6 घंटे 5 मिनट होगा।

➤ समय सारिणी :—

एक पारी विद्यालयों हेतु समय सारिणी निम्नानुसार होगी :

क्र.सं.	विवरण	ग्रीष्मकाल में विद्यालय संचालन हेतु कालांश विभाजन	शीतकाल में विद्यालय संचालन हेतु कालांश विभाजन
1	समयावधि	1 अप्रैल से 30 सितम्बर	1 अक्टूबर से 31 मार्च
2	विद्यालय समय (संस्था प्रधान हेतु)	7:50 बजे से 2:10 बजे तक (कुल 6:20 घंटे)	9:20 बजे से 3:40 बजे तक (कुल 6:20 घंटे)
3	विद्यालय समय (शिक्षकों हेतु)	8:00 बजे से 2:10 बजे तक (कुल 6:10 घंटे)	9:30 बजे से 3:40 बजे तक (कुल 6:10 घंटे)
4	विद्यालय समय (विद्यार्थियों हेतु)	8:05 बजे से 2:10 बजे तक (कुल 6:05 घंटे)	9:35 बजे से 3:40 बजे तक (कुल 6:05 घंटे)
5	प्रार्थना सभा एवं योगाभ्यास	8:05 बजे से 8:35 बजे तक (30 मिनट)	9:35 बजे से 10:05 बजे तक (30 मिनट)
6	प्रथम कालांश	8:35 बजे से 9:15 बजे तक (40 मिनट)	10:05 बजे से 10:45 बजे तक (40 मिनट)
7	द्वितीय कालांश	9:15 बजे से 9:55 बजे तक (40 मिनट)	10:45 बजे से 11:25 बजे तक (40 मिनट)
8	तृतीय कालांश	9:55 बजे से 10:35 बजे तक (40 मिनट)	11:25 बजे से 12:05 बजे तक (40 मिनट)
9	चतुर्थ कालांश	10:35 बजे से 11:15 बजे तक (40 मिनट)	12:05 बजे से 12:45 बजे तक (40 मिनट)
10	मध्यान्तर	11:15 बजे से 11:40 बजे तक (25 मिनट)	12:45 बजे से 01:10 बजे तक (25 मिनट)
11	पंचम कालांश	11:40 बजे से 12:20 बजे तक (40 मिनट)	01:10 बजे से 01:50 बजे तक (40 मिनट)
12	षष्ठम कालांश	12:20 बजे से 01:00 बजे तक (40 मिनट)	01:50 बजे से 02:30 बजे तक (40 मिनट)
13	सप्तम कालांश	01:00 बजे से 01:35 बजे तक (35 मिनट)	02:30 बजे से 03:05 बजे तक (35 मिनट)
14	अष्टम कालांश	01:35 बजे से 02:10 बजे तक (35 मिनट)	03:05 बजे से 03:40 बजे तक (35 मिनट)

➤ **नोट :-** शैक्षिक गुणवत्ता के लिए मुख्य विषयों के लिए शिक्षण का कार्य यथासंभव प्रथम छ: कालांश में निर्धारित किया जाए। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सहशैक्षिक गतिविधियों यथा—खेलकूद, वाद—विवाद प्रतियोगिता, भाषण, निबन्ध—लेखन इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया जाए।

1. जहाँ तक संभव हो, समस्त विद्यालय एक पारी में चलाए जाएंगे। जो विद्यालय वर्तमान में दो पारी में चल रहे हैं तथा विद्यालय की परिस्थितिवश आगामी सत्र में भी दो पारी / आंशिक दो पारी में संचालन आवश्यक है, उनके संस्था प्रधान औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक / माध्यमिक) को प्रस्तुत करेंगे तथा जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक / माध्यमिक) परीक्षणोपरांत स्पष्ट अनुशंसा सहित जिले के समेकित प्रस्ताव मंडल उपनिदेशक को 15 जुलाई, 2018 तक प्रस्तुत करेंगे तथा मंडल उपनिदेशक सम्पूर्ण परिक्षेत्र के प्राप्त प्रस्तावों पर विभागीय निर्देशों के अनुरूप गुणावगुण के आधार पर 31 जुलाई, 2018 तक सकारण आदेश जारी कर निदेशालय (प्रारम्भिक / माध्यमिक) को अवगति प्रदान करेंगे।

2. दो पारी में संचालित विद्यालयों का समय :-

क्र.सं.	अवधि	विद्यालय संचालन का समय
I.	1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक	प्रातः 7:00 से सांय 6:00 बजे तक (प्रत्येक पारी 5.30 घंटे)
II.	1 अक्टूबर से 31 मार्च तक	प्रातः 7:30 से सांय 5:30 बजे तक (प्रत्येक पारी 5.00 घंटे)

3. दो पारी विद्यालय (माध्यमिक/उच्च माध्यमिक) के संस्था प्रधान का समय प्रातः 10:00 से सायं 5:00 बजे तक रहेगा। वे अपने स्तर पर स्वैच्छा से इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे।
4. समस्त संस्था प्रधान विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम के अनुसार छात्र/छात्राओं को शिक्षण का लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से अनिवार्यतः विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम सुनवाने की व्यवस्था करेंगे। यह कार्यक्रम 1 जुलाई, 2018 से मार्च, 2019 तक स्थानीय वार्षिक परीक्षा आरम्भ होने के पूर्व तक दोपहर 2:40 बजे से 3:00 बजे तक कार्यक्रमानुसार प्रत्येक विद्यालयी कार्य दिवस को प्रसारित किया जाएगा।
5. राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रत्येक कक्षा हेतु पुस्तकालय कालांश का निर्धारण किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाए की प्रत्येक विद्यार्थी पुस्तकालय की सुविधा से लाभन्वित हो, अतः रोटेशन के आधार पर प्रति सप्ताह प्रत्येक कक्षा हेतु पुस्तकालय कालांश का निर्धारण किया जाए।
6. राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवनों में संचालित राजकीय माध्यमिक विद्यालय/माध्यमिक कक्षाएं एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय/प्राथमिक कक्षाएं निम्नांकित व्यवस्थानुसार संचालित की जाए :—

1.	उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 12)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा 9 से 12 द्वितीय पारी कक्षा 1 से 8
2.	उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 12)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा 9 से 12 द्वितीय पारी कक्षा 6 से 8
3.	उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 9 से 12)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा 11 से 12 द्वितीय पारी कक्षा 9 से 10
4.	माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 10)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा 6 से 10 द्वितीय पारी कक्षा 1 से 5
5.	माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 10)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा 9 से 10 द्वितीय पारी कक्षा 6 से 8

यदि एक ही शाला परिसर में दो विद्यालय संचालित हो तथा दो पारी में संचालन की स्वीकृति प्राप्त हो, तो माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रथम पारी में तथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय द्वितीय पारी में संचालित होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक अपने स्तर पर इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। समन्वित विद्यालय, जो दो या दो अधिक परिसर में संचालित हैं, में समान स्तर की समस्त कक्षाएं एक ही समय में (समान पारी में) संचालित की जाएगी।

➤ सहशैक्षिक गतिविधियां :-

1. समस्त सहशैक्षिक गतिविधियों का आयोजन विभागीय निर्देशों के अनुरूप किया जाए।
2. सभी राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में “चाईल्ड राईट्स क्लब, वन एवं पर्यावरण क्लब, विज्ञान क्लब एवं रोड सेफ्टी क्लब” की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाए तथा इनसे संबंधित गतिविधियों का संचालन आवश्यक रूप से किया जाए।
3. विद्यालय में प्रत्येक शनिवार को बाल सभा का आयोजन किया जाए। बाल सभा में बच्चों को बालसंरक्षण से संबंधित मुद्दों पर बाल चलचित्र, चित्रकला प्रतियोगिता, प्रस्तुतिकरण आदि के

माध्यम से उनमें बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण के संबंध में जागरूकता उत्पन्न की जाए। इसी प्रकार बाल सभा एवं उत्सव आयोजन के अवसर पर स्कूल द्वारा स्थानीय क्षेत्र के सम्मानित व्यक्तियों, जो उसी विद्यालय से पढ़कर महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापित हैं, को बुलाकर उनसे संबोधन कराया जाए। विद्यालय में बाल सभाओं व उत्सवों के आयोजन का रिकॉर्ड भी अनिवार्य रूप से संधारित किया जाए। विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को सहशैक्षिक गतिविधियों में सम्मिलित किया जाए।

4. माह के अंतिम शनिवार को समस्त राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा एक कालांश में स्वैच्छिक श्रमदान किया जाएगा।
5. शनिवारीय कार्यक्रम के अन्तर्गत उपर्युक्तानुसार बाल सभा आयोजन हेतु प्रत्येक शनिवार को समस्त आठ कालांश में से पांच-पांच मिनट कम करते हुए अन्तिम कालांश पश्चात् बाल सभा का आयोजन किया जाना चाहिये, जिसमें निम्नांकित विवरणानुसार कार्यक्रम को भी सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित किया जाए :—

प्रथम शनिवार	किसी महापुरुष के जीवन पर प्रेरक प्रसंग की जानकारी।
द्वितीय शनिवार	शिक्षाप्रद प्रेरक कहानियों का वाचन, विद्यार्थियों की रचनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए 'संस्कार सभा' के अन्तर्गत दादी/नानी को सानुरोध आमंत्रित कर परम्परागत प्रेरक कहानियों का वाचन करवाना।
तृतीय शनिवार	राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक समाचारों एवं घटनाओं की समीक्षा तथा प्रबुद्धजन का उद्बोधन।
चतुर्थ शनिवार	सद् साहित्य, महाकाव्यों पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन।
पंचम शनिवार	प्रेरक नाट्य का मंचन और विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्र भक्ति गीत गायन। (माह में पाँचवा शनिवार होने पर)

उपर्युक्त निर्देशित कार्यक्रम को आवश्यकतानुसार बाल सभा से पृथक रूप से प्रार्थना सभा पश्चात् शून्य कालांश में आयोजित किये जाने के विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है।

6. सभी विद्यालय वार्षिक उत्सव 30 नवम्बर, 2018 तक मनाएंगे। विद्यालयों को अपनी प्रतियोगिताएं/एस.यू.पी.डब्ल्यू. शिविर/वार्षिक उत्सव सहित अन्य गतिविधियां यथा—उत्कृष्ट उपलब्धि प्रदान करने वाले संस्था प्रधान/शिक्षक एवं विद्यार्थियों को पुरस्कार इत्यादि इससे पूर्व समयावधि में समाप्त करनी होगी। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में 30 नवम्बर, 2018 तक वार्षिक उत्सव नहीं मनाया जा सके, तो सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर बाद में भी मनाया जा सकता है। इसके बाद उच्चतम कक्षाओं के संक्षिप्त विदाई समारोह (आशीर्वाद एवं अभिवादन समारोह) एवं "सखा—संगम" जैसे कार्यक्रम ही आयोजित किए जा सकते हैं।
7. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर द्वारा संचालित विद्यालय आधारित मूल्यांकन योजना के अन्तर्गत कक्षा 9 एवं 10 के लिए विद्यालय में संचालित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियों में से एक प्रवृत्ति में प्रत्येक विद्यार्थी को भाग लेना अनिवार्य होगा तथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास हेतु सुविधानुसार आयोजित प्रवृत्तियों में से प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम दो प्रवृत्तियों में भाग लेना अनिवार्य होगा।
8. समस्त विद्यालयों में "विद्यालय प्रबन्धन समिति (एसएमसी)" की कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रतिमाह अमावस्या के दिन ही आयोजित की जाएगी। 'सर्व शिक्षा अभियान सामुदायिक गतिशीलता प्रकोष्ठ' के प्लान के अनुसार "विद्यालय प्रबन्धन समिति (एसएमसी)" की उक्त बैठकों को "समुदाय जागृति दिवस" के रूप में मनाया जाए। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संचालित "विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (एसडीएमसी)" की बैठक प्रतिमाह अमावस्या के

दिन ही आयोजित की जाए। यदि अमावस्या के दिन विद्यालय में अवकाश हो तो इनका आयोजन अगले कार्य दिवस पर किया जाएगा।

➤ विद्यालय प्रबंधन समिति हेतु गैर आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप करवाया जाएगा।

➤ प्रबोधन एवं प्रबन्धन :-

1. एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के अन्तर्गत 30 सितम्बर के आधार पर जिले के राजकीय/केन्द्रीय/निजी आदि समस्त विद्यालयों, जिनमें कक्षा 1-12 तक के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, शैक्षिक नियोजन की दृष्टि से उनकी विभिन्न सूचनाएं, यथा विद्यार्थियों/शिक्षकों/विद्यालयों की श्रेणीवार संख्या आदि संकलित की जाए। सभी शिक्षक/संस्था प्रधान यू-डाईस सूचना संकलन प्रपत्र की समय पर पूर्ति सुनिश्चित करें।
2. कल्प कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब का रखरखाव विद्यालय को सर्व शिक्षा अभियान से उपलब्ध कराई जा रही स्कूल फेसिलेटी ग्राण्ट/मैन्टीनेन्स ग्राण्ट से विद्यालय द्वारा करवाया जाए एवं लैब को सुरक्षित रखते हुए विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों हेतु प्रति सप्ताह अधिकतम दो-दो कालांश प्रति कक्षा लगवाए जाएं एवं विद्यालय में उपलब्ध ई-कन्टेन्ट (विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी) द्वारा सम्बलन प्रदान किया जाए।
3. राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (SIERT), उदयपुर के विज्ञान एवं गणित विभाग द्वारा सत्र के प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह में निर्धारित समयानुसार विज्ञान मेला, जनसंख्या शिक्षा आधारित प्रशिक्षण, विज्ञान, गणित एवं एन.एम.एम.एस. से सम्बन्धित कुल 8 वी.सी. (वर्ष भर में) आयोजित की जाएगी।

➤ RMSA द्वारा निर्देशित कार्यक्रम एवं गतिविधियों का आयोजन :-

1. जुलाई-18 के प्रथम सप्ताह से सितम्बर-18 के प्रथम सप्ताह तक आदर्श विद्यालय अवलोकन कार्यक्रम के प्रथम चरण का आयोजन।
2. स्कूल परफोरमेन्स अवार्ड हेतु शाला के समस्त मॉड्यूल में नियमित अपडेशन।
 - स्वाधीनता दिवस (15 अगस्त-18) अवार्ड हेतु 31 जुलाई - 18 तक अपडेशन कार्य पूर्ण करना।
 - गणतंत्र दिवस (26 जनवरी-19) अवार्ड हेतु 31 दिसम्बर - 18 तक अपडेशन कार्य पूर्ण करना।
3. ट्रॉसपोर्ट वाउचर योजना (कक्षा 1 से 8 हेतु) : जुलाई ,अगस्त-18 माह में :-
 - छात्र/छात्राओं का शाला में प्रवेश के समय ही प्रपत्र-9 में विद्यार्थी की वासस्थान से स्कूल की दूरी अंकित करने के पश्चात् कक्षा 1-8 ट्रॉसपोर्ट वाउचर में पात्र/अपात्र का चयन कर सेव करें।
4. ट्रॉसपोर्ट वाउचर योजना (कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं के लिए) : चारों तिमाहियों में अग्रांकित विवरणानुसार डिमाण्ड भरी जानी है :-
 - 1 जुलाई से 30 सितम्बर-18 (15 जुलाई-18 तक)
 - 1 अक्टूबर से 31 दिसम्बर-18 (15 अक्टूबर-18 तक)
 - 1 जनवरी से 31 माच-19 (15 जनवरी-19 तक)
 - 1 अप्रैल से 30 जून-19 (15 अप्रैल-19 तक)
5. सितम्बर - 18 के प्रथम सप्ताह से अक्टूबर -18 के अन्तिम सप्ताह तक कक्षा-09 हेतु रेमेडियल कक्षाओं का आयोजन।
6. अक्टूबर-18 में आत्मरक्षा शिविरों का आयोजन।
7. वरिष्ठ अध्यापक (विषय आधारित) प्रशिक्षण : दिनांक : 16 मई से 20 जून-19 तक।

➤ SSA सम्बन्धी दिशा निर्देश :-

1. सत्र 2018–19 में ड्रॉपआउट एवं अनामांकित बच्चों के लिए संचालित आवासीय/गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविरों के बालक-बालिकाओं को मुख्य धारा में जोड़ना सुनिश्चित करें। संस्था प्रधान प्रतिमाह इनकी ट्रेकिंग कर सूचना प्रेषित करेंगे।
2. शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाएं जो अनामांकित श्रेणी के हैं तथा जिन्हें कक्षा 1 से विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना है, उनके लिए विद्यालय में एक पृथक् कक्षा का गठन कर उसे समय विभाग चक्र में प्रदर्शित कर कालांशवार शिक्षकों को उस कक्षा में भिजवाकर उनके संघनित पाठ्यक्रम के माध्यम से अध्ययन करवाया जाए।
3. विद्यालयों में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी, जिनके अभिभावक आजीविका कमाने हेतु पलायन करते हैं, इनकी पलायन अवधि के लिए माइग्रेटरी छात्रावास का संचालन किया जाए।
4. वर्ष पर्यन्त आयोज्य क्रियाकलाप –
 - i. संदर्भ कक्षों पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को थैरेपिक एवं शैक्षिक सम्बलन।
 - ii. ट्रांसपोर्ट, एस्कॉर्ट एवं रीडर अलाउंस।

➤ उत्सव एवं अवकाश :-

1. प्रत्येक माह में अंकित उत्सव अनिवार्यतः मनाए जाएं।
2. उत्सव के दिन रविवार/स्वीकृत अवकाश हो, तो उसे एक दिन पहिले/बाद में मनाया जाए। उत्सव के दिन आठों कालांश में शिक्षण कार्य करवाया जाए। उत्सव आयोजन हेतु प्रत्येक कालांश में से 5–5 मिनट अवधि घटाकर आठवें कालांश के पश्चात् शेष रहे समय में उत्सव मनाया जाए।
3. 15 अगस्त तथा 26 जनवरी को पूर्ण अवकाश होते हुए भी उत्सव मनाया जाना अनिवार्य है। शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों की स्वयं के विद्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है।
4. मध्यावधि अवकाश, शीतकालीन अवकाश तथा ग्रीष्मावकाश में विद्यालयों के मंत्रालयिक कर्मचारी केवल राजपत्रित अवकाश का ही उपभोग करेंगे।
5. प्रत्येक संस्था प्रधान इस पंचांग में निर्दिष्ट अवकाशों के अतिरिक्त सत्र में दो दिवसों का अवकाश घोषित कर सकते हैं, जिनमें से एक मध्यावधि अवकाश से पहले एवं दूसरा मध्यावधि अवकाश के बाद किया जाए। संस्था प्रधान इसकी सूचना 31 जुलाई, 2018 से पूर्व नियन्त्रण अधिकारी को भेजें। अवकाश हेतु दिवसों का चयन करते समय यह ध्यान रखा जावे कि महत्वपूर्ण विद्यालयी कार्यक्रम अप्रभावित रहें।
6. जिला कलक्टर द्वारा घोषित अवकाश सम्बन्धित जिले के विद्यालय में मान्य होंगे।

➤ मूल्यांकन एवं परीक्षा :-

1. कक्षा – 6 से 12 की परख, अर्द्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा एवं पूरक परीक्षाएं (कक्षा–8 में डाईट तथा कक्षा – 10 एवं 12 में वार्षिक परीक्षा के स्थान पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा परीक्षा ली जाएगी) इस पंचांग के अनुसार सम्पन्न की जाए तथा परीक्षा परिणामों की घोषणा तथा विद्यार्थियों को प्रगति पत्रों का वितरण 30 अप्रैल, 2018 को अनिवार्य रूप से कर दिया जाए।
2. कक्षा – 1 से 5 में SIQE के अन्तर्गत CCE के तहत तीन योगात्मक आकलन अग्रांकित विवरणानुसार सम्पादित किए जाएंगे :–

टर्म	पाठ्यक्रम विभाजन	योगात्मक आकलन आयोजन माह
प्रथम	लगभग 45 %	सितम्बर – 2018
द्वितीय	लगभग 40 %	जनवरी – 2019
तृतीय	लगभग 15 %	बोर्ड परीक्षा से पूर्व

कक्षा – 5 हेतु तृतीय योगात्मक आकलन के स्थान पर "प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन" का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तिथियां पृथक् से निर्धारित की जाएंगी।

3. परख अवधि में शाला समय से पूर्व विद्यार्थियों को अगले दिवस परख की तैयारी हेतु छोड़ा जा सकता है, लेकिन कर्मचारी पूरे समय तक उपस्थित रहेंगे।
4. सभी स्तर के विद्यालयों में अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के लिए क्रमशः एक तथा दो दिवसों का परीक्षा तैयारी अवकाश रहेगा। इन दिनों में विद्यालय खुलेंगे और अध्यापक एवं मंत्रालयिक कर्मचारी परीक्षा के अभिलेख तथा व्यवस्था संबंधित कार्य पूर्ण करेंगे। इस प्रकार का अवकाश रविवार एवं अन्य राजपत्रित अवकाश छोड़कर किया जाएगा।
5. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोज्य कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों हेतु 14 दिवस का परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश रहेगा। उक्त अवधि में विद्यार्थियों हेतु आवश्यकतानुसार विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाए।
6. एसआईक्यूई/सीसीई संचालित विद्यालयों में पारम्परिक प्रक्रिया से मूल्यांकन न होकर सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया से ही मूल्यांकन किया जाएगा।
7. विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं के नियमित मूल्यांकन प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग, प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग के परिपत्र क्रमांक: प.14 (3) प्राशि/आयो/2014, जयपुर, दिनांक: 27.10.2014 की पालना की जाए।

➤ **पूरक परीक्षा :-**

माध्यमिक शिक्षा के अधीन कक्षा 9 एवं 11 की पूरक परीक्षाओं का आयोजन 6 से 8 मई, 2019 तक किया जाए। परीक्षा परिणाम 9 मई, 2019 को घोषित कर प्रगति पत्र वितरण कर दिए जाएं।

शिविर पंचांग : जुलाई-2018

रविवार	1	8	15	22	29
सोमवार	2	9	16	23	30
मंगलवार	3	10	17	24	31
बुधवार	4	11	18	25	
गुरुवार	5	12	19	26	
शुक्रवार	6	13	20	27	
शनिवार	7	14	21	28	
कार्य दिवस	26	रविवार 05	अवकाश 00	उत्सव 03	

02 जुलाई	"अन्नपूर्णा दूध योजना" के शुभारम्भ के अवसर पर प्रत्येक विद्यालय में "अभिभावक – अध्यापक परिषद्" की विशेष बैठक (PTM) का आयोजन ।
02 से 09 जुलाई	प्रत्येक विद्यालय में "अन्नपूर्णा दूध योजना सप्ताह" का आयोजन ।
08 जुलाई	"मीना मंच" का गठन— SSA
11 जुलाई	विश्व जनसंख्या दिवस (उत्सव) (SIERT)
13 जुलाई	समुदाय जागृति दिवस— SSA
15 जुलाई	.SDMC की कार्यकारिणी समिति में अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप विद्यार्थी कोष/विकास कोष के माध्यम से सत्र पर्यन्त किए जाने वाले कार्यों हेतु आवश्यक लेखांकन प्रक्रिया पूर्ण करवाना ।
23 जुलाई	लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जयन्ती (उत्सव)
27 जुलाई	गुरु पूर्णिमा (उत्सव)
जुलाई के चतुर्थ सप्ताह में	सत्रारम्भ की संस्था प्रधान वाक्‌पीठ (प्रा./उ.प्रा./मा./उ.मा.विद्यालय) का आयोजन (23 से 28 जुलाई की अवधि में दो दिवस के लिए)

नोट :— विद्यालयों द्वारा वर्षा आरम्भ होते ही वृक्षारोपण का कार्य करना ।

SSA से सम्बन्धित कार्यक्रम

- 1) "आपणी लाडो" बालिका शिक्षा हेतु समुदाय जागृति कार्यक्रम ।
- 2) "शाला दर्शन पोर्टल" पर प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों की प्रोफाईल ।
- 3) केजीबीवी शिक्षिकाओं हेतु ऑनलाईन कोर्स सामग्री निर्माण ।
- 4) "शाला दर्शन पोर्टल" पर नव प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रविष्टि— जुलाई से अगस्त 2018 ।
- 5) जुलाई-2018 से दिसम्बर-2018 के मध्य आयोज्य प्रशिक्षण कार्यक्रम :—
 - i. सामान्य शिक्षकों, संदर्भ शिक्षकों एवं केजीबीवी शिक्षिकाओं हेतु 10 दिवसीय आवासीय आईसीटी प्रशिक्षण ।
 - ii. दृष्टिबाधित एवं श्रवण बाधित बच्चों के समावेशन हेतु 10 दिवसीय आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण ।
 - iii. सामान्य शिक्षकों हेतु 5 दिवसीय पाठ्यक्रम अनुकूलन सम्बन्धी प्रशिक्षण । (ब्लॉक स्तरीय)
 - iv. विशेष शिक्षकों हेतु 10 दिवसीय आवासीय मर्टी कैटेगरी प्रशिक्षण ।

शिविरा पंचांग : अगस्त-2018

रविवार		5	12	19	26
सोमवार		6	13	20	27
मंगलवार		7	14	21	28
बुधवार	1	8	15	22	29
गुरुवार	2	9	16	23	30
शुक्रवार	3	10	17	24	31
शनिवार	4	11	18	25	
कार्य दिवस	26	रविवार 04	अवकाश 01	उत्सव 02	

10 से 25 अगस्त	विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं हेतु फंक्शनल असेसमेन्ट कैम्प— SSA
13 अगस्त	जिला स्तरीय विज्ञान सेमिनार (SIERT)
15 अगस्त से पूर्व	केजीबीवी बालिकाओं को समस्त प्रकार की आधारभूत सामग्री का वितरण — SSA
15 अगस्त	1. स्वतन्त्रता दिवस (अवकाश—उत्सव अनिवार्य) 2. SDMC की कार्यकारिणी समिति में अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप विद्यार्थी कोष/विकास कोष के माध्यम से सत्र पर्यन्त किए जाने वाले कार्यों हेतु आवश्यक निविदा कार्यवाही सम्पन्न करना।
16 अगस्त से पूर्व	विद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समूह की विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन
16–18 अगस्त	प्रथम परख का आयोजन
21 अगस्त	“अध्यापिका मंच” संचालन समिति का गठन एवं बैठक - SSA
22 अगस्त	ईदुल जुहा (अवकाश चन्द्र दर्शनानुसार)
23 से 24 अगस्त	जिला स्तरीय नेहरू हॉकी सब जूनियर (15 वर्ष छात्र) प्रतियोगिता का आयोजन।
26 अगस्त	रक्षा बन्धन (अवकाश) एवं संस्कृत दिवस (उत्सव)
27 से 29 अगस्त	राज्य स्तरीय नेहरू हॉकी सब जूनियर (15 वर्ष छात्र) प्रतियोगिता का आयोजन।
28 अगस्त	राज्य स्तरीय विज्ञान सेमिनार (SIERT)
29 अगस्त	ध्यानचन्द्र जयन्ती पर विद्यालयों द्वारा खेलकूद गतिविधियों का आयोजन करना
29–30 अगस्त	जिला स्तरीय केजीबीवी खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन— SSA
31 अगस्त	1. SDMC की कार्यकारिणी समिति में अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप विद्यार्थी कोष/विकास कोष के माध्यम से सत्र पर्यन्त किए जाने वाले कार्यों हेतु निविदा कार्यवाही उपरांत क्रयादेश/कार्यादेश जारी करना। 2. सर्व श्रेष्ठ राजकीय विद्यालय पुरस्कार—2018 के लिए राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) को आवेदन करना।

SSA से सम्बन्धित कार्यक्रम

- 1) आत्मरक्षा पर एम.टी. प्रशिक्षण ।
- 2) केजीबीवी संरथाप्रधानों एवं वार्डन की कार्यशाला ।
- 3) समस्त नव प्रवेशित व शेष विद्यार्थियों व शिक्षकों के आधार की प्रविष्टि ।
- 4) विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समिति विवरण की शाला दर्शन पर प्रविष्टि ।
- 5) पेरेन्ट काउसंलिंग (प्रत्येक ब्लॉक पर): अगस्त से दिसम्बर—2018 ।
- 6) एस.एम.सी. प्रशिक्षण : अगस्त से अक्टूबर—2018 ।

शिविरा पंचांग : सितम्बर—2018

रविवार	30	2	9	16	23
सोमवार		3	10	17	24
मंगलवार		4	11	18	25
बुधवार		5	12	19	26
गुरुवार		6	13	20	27
शुक्रवार		7	14	21	28
शनिवार	1	8	15	22	29
कार्य दिवस	22	रविवार 05	अवकाश 03	उत्सव 05	

1 से 5 सितम्बर	प्रथम समूह की जिला स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन (अधिकतम 4 दिन)
1 से 7 सितम्बर	ब्लॉक स्तरीय पं.दीन दयाल उपाध्याय विज्ञान,गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी (दो दिवसीय) (SIERT)
3 सितम्बर	1. जन्माष्टमी (अवकाश—उत्सव)
5 सितम्बर	शिक्षक दिवस (उत्सव), राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन, राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान के अन्तर्गत शिक्षक दिवस पर झण्डियों की बिक्री का शुभारम्भ
5 से 9 सितम्बर	द्वितीय समूह की जिला स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन (अधिकतम 4 दिन)
10 सितम्बर	"अध्यापिका मंच" की प्रथम बैठक – SSA , समुदाय जागृति दिवस – SSA
8 सितम्बर	विश्व साक्षरता दिवस (उत्सव), अभिभावक—अध्यापक बैठक (PTM) का आयोजन ।
10 से 12 सितम्बर	जिला स्तरीय पं.दीन दयाल उपाध्याय विज्ञान,गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी (SIERT)
13 से 18 सितम्बर	प्रथम समूह की राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन
14 सितम्बर	हिन्दी दिवस (उत्सव)
17 से 18 सितम्बर	जिला स्तरीय रोल प्ले एवं फॉक डान्स प्रतियोगिता (SIERT)
19 सितम्बर	रामदेव जयन्ती/तेजा दशमी (अवकाश—उत्सव)
21 सितम्बर	मोहर्रम (अवकाश—चन्द्र दर्शनानुसार)
22 से 24 सितम्बर	प्राथमिक विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता (ब्लॉक स्तरीय)
22 से 27 सितम्बर	द्वितीय समूह की राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन
23 सितम्बर	किशोर जागृति दिवस (SIERT)
24 सितम्बर	बालिका शिक्षा के अन्तर्गत समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में "मीना दिवस" - SSA
25 से 27 सितम्बर	प्राथमिक विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता (जिला स्तरीय)
28 से 29 सितम्बर	जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन (शिक्षकों के लिए अवकाश)
30 सितम्बर	<p>1. राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान के अन्तर्गत झंडियों की बिक्री से प्राप्त राशि का बैंक ड्राफ्ट सचिव, राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के नाम से बनाकर प्रेषित करना एवं श्रेष्ठ राजकीय विद्यालय पुरस्कार—2018 के प्रस्तावों का मूल्यांकन कर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक—प्रथम) द्वारा मण्डल अधिकारी को प्रेषित करना ।</p> <p>2. SDMC की कार्यकरिणी समिति में अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप विद्यार्थी कोष/विकास कोष के माध्यम से किए जाने वाले कार्य/क्रय कार्यवाही पूर्ण करना ।</p>

- नोट—**
1. प्रथम योगात्मक आकलन का आयोजन – CCE /SIQE संचालित विद्यालयों में (माह के अन्तिम सप्ताह में) ।
 2. 24 सितम्बर – राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस (जिन विद्यालयों में यह योजना संचालित है) ।
 3. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतियोगिता का ब्लॉक स्तर पर आयोजन ।
 4. डाईस व शाला दर्शन पर प्रविष्ट विद्यार्थी व शिक्षकों की सूचनाओं का मिलान कर अपडेशन करना ।
 5. समस्त शिक्षकों के कार्मिक व्यवितरण प्रपत्र—10 का अपडेशन-**SSA** (सितम्बर से अक्टूबर—2018)

शिविरा पंचांग : अक्टूबर—2018

रविवार		7	14	21	28
सोमवार	1	8	15	22	29
मंगलवार	2	9	16	23	30
बुधवार	3	10	17	24	31
गुरुवार	4	11	18	25	
शुक्रवार	5	12	19	26	
शनिवार	6	13	20	27	
कार्य दिवस	21	रविवार 04	अवकाश 06	उत्सव 03	

1 अक्टूबर	विद्यालय समय परिवर्तन – 1. एक पारी विद्यालय – विद्यार्थियों हेतु प्रातः 09:35 से 3:40 बजे तक। (शिक्षकों हेतु प्रातः 9:30 से 3:40 बजे तक, संस्था प्रधान हेतु प्रातः 9:20 से 3:40 बजे तक) 2. दो पारी विद्यालय – प्रातः 07:30 से सायं 05:30 बजे तक (प्रत्येक पारी 5:00 घंटे)
2 अक्टूबर	गांधी जयंती व शास्त्री जयंती (उत्सव)
3 से 4 अक्टूबर	जिला स्तरीय जीवन कौशल विकास बाल मेला (SIERT)
3 से 5 अक्टूबर	संभाग स्तरीय केजीबीवी खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन – SSA
3 से 7 अक्टूबर	तृतीय समूह की जिला स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन (अधिकतम 04 दिवस)
5 से 25 अक्टूबर	विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं हेतु अंग-उपकरण वितरण कैम्प – SSA
8 से 9 अक्टूबर	राज्य स्तरीय रोल प्ले एवं लोकनृत्य प्रतियोगिता (SIERT)
10 अक्टूबर	नवरात्र रथापना (अवकाश)
11 से 13 अक्टूबर	द्वितीय परख
17 अक्टूबर	दुर्गाष्टमी (अवकाश)
19 अक्टूबर	विजयादशमी (अवकाश)
20 से 25 अक्टूबर	तृतीय समूह की राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन
24 अक्टूबर	संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस (उत्सव)
26 से 27 अक्टूबर	राज्यस्तरीय शैक्षिक सम्मेलन
29 अक्टूबर से 09 नवम्बर	मध्यावधि अवकाश
31 अक्टूबर	1 इन्दिरा गांधी पुण्य तिथि (संकल्प दिवस–उत्सव) 2 श्रेष्ठ राजकीय विद्यालय पुरस्कार— 2018 के प्रस्तावों की समीक्षा कर मण्डल अधिकारी द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को भेजना।

नोट – माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा शिक्षकों के व्यावसायिक कौशल एवं उन्नयन प्रतियोगिता का जिला स्तर पर आयोजन।

SSA से सम्बन्धित कार्यक्रम

अक्टूबर से नवम्बर :

- 1 10 दिवसीय एच.एम. लीडरशिप एस.आर.जी. प्रशिक्षण ।
- 2 कक्षा 5 मूल्यांकन परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाईन ।

शिविरा पंचांग : नवम्बर—2018

रविवार		4	11	18	25
सोमवार		5	12	19	26
मंगलवार		6	13	20	27
बुधवार		7	14	21	28
गुरुवार	1	8	15	22	29
शुक्रवार	2	9	16	23	30
शनिवार	3	10	17	24	
कार्य दिवस	16	रविवार 04		अवकाश 10	उत्सव 05

नोट :- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं यथा

1 से 9 नवम्बर	मध्यावधि अवकाश
7 नवम्बर	दीपावली (अवकाश)
8 नवम्बर	गोवर्धन पूजा (अवकाश)
9 नवम्बर	भैया दूज (अवकाश)
11 नवम्बर	राष्ट्रीय शिक्षा दिवस (उत्सव)
12 नवम्बर	समुदाय जागृति दिवस— SSA
12 से 13 नवम्बर	तहसील स्तरीय शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन
14 नवम्बर	बाल दिवस (उत्सव)
16 से 17 नवम्बर	जिला स्तरीय शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिता
17 नवम्बर	नेशनल मीन्स कम मेरिट परीक्षा (SIERT)
19 नवम्बर	कालिदास जयन्ती (उत्सव)
21 नवम्बर	बारावफात (अवकाश—चन्द्र दर्शनानुसार)
23 नवम्बर	गुरु नानक जयन्ती (अवकाश—उत्सव)
26 नवम्बर	संविधान दिवस (उत्सव)
28–30 नवम्बर	राज्य स्तरीय केजीबीवी खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन

(अ)राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा,(ब) राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, (स) राज्य विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन ।

SSA से सम्बन्धित कार्यक्रम

केजीबीवी नवचयनित शिक्षिकाओं हेतु रिव्यू कार्यशाला

शिविरा पंचांग : दिसम्बर—2018

रविवार	30	2	9	16	23
सोमवार	31	3	10	17	24
मंगलवार		4	11	18	25
बुधवार		5	12	19	26
गुरुवार		6	13	20	27
शुक्रवार		7	14	21	28
शनिवार	1	8	15	22	29
कार्य दिवस 20	रविवार 05	अवकाश 06	उत्सव 02		

01 दिसम्बर	विश्व एकता दिवस (उत्सव), विश्व एड्स दिवस (SIERT)
02 एवं 03 दिसम्बर	विश्व विकलांग दिवस— SSA
06 – 07 दिसम्बर	राज्य स्तरीय मंत्रालयिक कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता हेतु जिला स्तर पर चयन
07 दिसम्बर	सत्र : 2018–19 हेतु माँ–शिक्षक बैठक (MTM) का आयोजन
10 दिसम्बर	मानव अधिकार दिवस (उत्सव)
11–24 दिसम्बर	अर्द्ध वार्षिक परीक्षा का आयोजन
13 से 14 दिसम्बर	राज्य स्तरीय मंत्रालयिक कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता हेतु मण्डल स्तर पर चयन व दल गठन।
17–22 दिसम्बर	राज्य स्तरीय मंत्रालयिक कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता हेतु मण्डल स्तर पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन।
25 दिसम्बर	क्रिसमस डे (अवकाश)
25 दिसम्बर से 07 जनवरी	शीतकालीन अवकाश (राज्य कर्मचारियों के हितकारी निधि के वार्षिक अंशदान को दिसम्बर के वेतन से निर्धारित दर पर कटौती की कार्यवाही करना)
26 से 28 दिसम्बर	राज्य स्तरीय शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिता हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन
27 से 30 दिसम्बर	राज्य स्तरीय मंत्रालयिक कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन।
29 से 31 दिसम्बर	राज्य स्तरीय शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिता।

नोट— जिन विद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई संचालित है, उन विद्यालयों में सात दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन शीतकालीन अवकाश के दौरान ही किया जाए।

SSA से सम्बन्धित कार्यक्रम

दिसम्बर – 2018 से जनवरी – 2019 : 10 दिवसीय एच.एम. लीडरशिप प्रशिक्षण

शीतकालीन अवकाश के दौरान आयोज्य प्रशिक्षण कार्यक्रम :-

- 1) कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों हेतु छ: दिवसीय विषय आधारित शिक्षक प्रशिक्षण
- 2) नवनियुक्त शिक्षक प्रशिक्षण

शिविरा पंचांग : जनवरी—2019

रविवार		6	13	20	27
सोमवार		7	14	21	28
मंगलवार	1	8	15	22	29
बुधवार	2	9	16	23	30
गुरुवार	3	10	17	24	31
शुक्रवार	4	11	18	25	
शनिवार	5	12	19	26	
कार्य दिवस	21	रविवार 04		अवकाश 06	उत्सव 05

01 से 07 जनवरी	शीतकालीन अवकाश
05 जनवरी	समुदाय जागृति दिवस— SSA
12 जनवरी	स्वामी विवेकानन्द जयन्ती (राष्ट्रीय युवा दिवस—उत्सव), केरियर डे का आयोजन (माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय)
13 जनवरी	गुरु गोविन्द सिंह जयन्ती(अवकाश— उत्सव)
14 से 17 जनवरी	राज्य स्तरीय पं. दीन दयाल उपाध्याय विज्ञान,गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी—2018 (SIERT)
15 जनवरी	मकर सक्रान्ति (उत्सव)
15 से 21 जनवरी	केजीबीवी में शैक्षिक किशोरी मेलों का आयोजन— SSA
23 जनवरी	सुभाष चन्द्र बोस जयन्ती, देश प्रेम दिवस (उत्सव)
24 जनवरी	“राष्ट्रीय बालिका दिवस” का आयोजन— SSA
26 जनवरी	गणतंत्र दिवस (अवकाश—उत्सव अनिवार्य)।
29 से 31 जनवरी	राज्य स्तरीय जीवन कौशल विकास बाल मेला (SIERT)
30 जनवरी	शहीद दिवस (प्रातः 11.00 बजे दो मिनट का मौन) “अध्यापिका मंच” की द्वितीय बैठक का आयोजन— SSA

- नोट—**
1. द्वितीय योगात्मक आकलन का आयोजन – CCE / SIQE संचालित विद्यालयों में (माह के अन्तिम सप्ताह में)।
 2. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा शिक्षकों के व्यावसायिक कौशल उन्नयन की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन एवं विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतियोगिता का जिला स्तर पर आयोजन।

SSA से सम्बन्धित कार्यक्रम

केजीबीवी शिक्षिकाओं हेतु कार्यशाला— SSA

शिविरा पंचांग : फरवरी—2019

रविवार		3	10	17	24
सोमवार		4	11	18	25
मंगलवार		5	12	19	26
बुधवार		6	13	20	27
गुरुवार		7	14	21	28
शुक्रवार	1	8	15	22	
शनिवार	2	9	16	23	
कार्य दिवस	24	रविवार 04	अवकाश 00	उत्सव 04	

04 फरवरी	समुदाय जागृति दिवस— SSA
09 फरवरी	बसन्त पंचमी/ सरस्वती जयन्ती (उत्सव), गार्गी पुरस्कार समारोह, बालिका दिवस आयोजन।
11 से 13 फरवरी	तृतीय परख का आयोजन
14 फरवरी	मातृ—पितृ पूजन दिवस (उत्सव)
फरवरी के तृतीय सप्ताह में	सत्रान्त की संस्था प्रधान वाक्‌पीठ (प्रावि/उप्रावि/मावि/उमावि) का आयोजन (18 से 23 फरवरी की अवधि में)
28 फरवरी	स्वामी दयानन्द जयन्ती (उत्सव), राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (उत्सव) (SIERT)
नोट :-	1. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोज्य कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों हेतु 14 दिवस का परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश रहेगा।

शिविरा पंचांग : मार्च–2019

रविवार	31	3	10	17	24
सोमवार		4	11	18	25
मंगलवार		5	12	19	26
बुधवार		6	13	20	27
गुरुवार		7	14	21	28
शुक्रवार	1	8	15	22	29
शनिवार	2	9	16	23	30
कार्य दिवस	23	रविवार 05	अवकाश	03	उत्सव 03

04 मार्च	महा शिवरात्रि (अवकाश–उत्सव)
06 मार्च	अभिभावक–अध्यापक बैठक (PTM)का आयोजन, समुदाय जागृति दिवस— SSA
15 मार्च	विश्व उपभोक्ता दिवस (उत्सव)
20 मार्च	होलिका दहन (अवकाश)
21 मार्च	धुलण्डी (अवकाश)
30 मार्च	राजस्थान दिवस (उत्सव)

शिविरा पंचांग : अप्रैल—2019

रविवार		7	14	21	28
सोमवार	1	8	15	22	29
मंगलवार	2	9	16	23	30
बुधवार	3	10	17	24	
गुरुवार	4	11	18	25	
शुक्रवार	5	12	19	26	
शनिवार	6	13	20	27	
कार्य दिवस	24	रविवार 04	अवकाश 02	उत्सव 04	

01 अप्रैल	विद्यालय समय परिवर्तन – 1.एक पारी विद्यालय – विद्यार्थियों हेतु प्रातः 08:05 से 02:10 बजे तक। (शिक्षकों हेतु प्रातः 8:00 बजे से 2:10 बजे तक, संस्था प्रधान हेतु प्रातः 7:50 से 2:10 बजे तक) । 2.दो पारी विद्यालय – प्रातः 07:00 से सायं 06:00 बजे तक (प्रत्येक पारी 5:30 घंटे)
07 अप्रैल	चेटीचण्ड (अवकाश—उत्सव)
10 से 25 अप्रैल	वार्षिक परीक्षा का आयोजन
14 अप्रैल	रामनवमी(अवकाश—उत्सव),डॉ० बी. आर. अम्बेडकर जयन्ती (अवकाश —उत्सव)
17 अप्रैल	महावीर जयन्ती, अहिंसा दिवस (अवकाश—उत्सव)
19 अप्रैल	गुड—फ्राइडे (अवकाश)
26 अप्रैल	विद्यालय में आगामी सत्र हेतु प्रवेश प्रक्रिया का आरम्भ एवं नामांकन हेतु विद्यार्थियों के चिह्नीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ।
30 अप्रैल	वार्षिक परीक्षा परिणाम की घोषणा तथा परीक्षा परिणामों की प्रति संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को समीक्षा हेतु प्रेषित करना। संस्था प्रधान द्वारा स्टाफ की बैठक लेकर सत्रपर्यन्त हुए कार्यों की समीक्षा करना एवं आगामी सत्र की विद्यालय योजना हेतु विचार—विमर्श कर निर्णय लेना तथा योजना संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करना। अभिभावक—अध्यापक बैठक (PTM) एवं SDMC की साधारण सभा का संयुक्त रूप से आयोजन एवं करणीय कार्यों के संबंध में प्रस्ताव पारित करना।

नोट :- SIQE संचालित विद्यालयों में कक्षा 5 हेतु सम्बन्धित जिले की DIET द्वारा तृतीय योगात्मक आकलन के स्थान पर “प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन” किया जाएगा,जिसकी तिथियां पृथक से घोषित की जाएगी। कक्षा— 1 से 4 में तृतीय योगात्मक आकलन का आयोजन उक्त मूल्यांकन से पूर्व किया जाएगा।

शिविर पंचांग : मई—2019

रविवार		5	12	19	26
सोमवार		6	13	20	27
मंगलवार		7	14	21	28
बुधवार	1	8	15	22	29
गुरुवार	2	9	16	23	30
शुक्रवार	3	10	17	24	31
शनिवार	4	11	18	25	
कार्य दिवस	08	रविवार 04	अवकाश 19	उत्सव 01	

01 मई	नवीन सत्र : 2019–20 प्रारम्भ
01 से 09 मई	प्रवेशोत्सव – प्रथम चरण का आयोजन
06 से 08 मई	पूरक परीक्षा का आयोजन
07 मई	रवीन्द्र नाथ टैगोर जयन्ती (उत्सव)
09 मई	पूरक परीक्षा परिणाम की घोषणा एवं प्रगति-पत्र का वितरण।
10 मई से 18 जून	ग्रीष्मावकाश
नोट :-	<p>1. संस्था प्रधान ग्रीष्मावकाश में मुख्यालय से बाहर हों, तो वह विद्यार्थियों को टी०सी० जारी करने हेतु मुख्यालय पर रहने वाले वरिष्ठतम् शिक्षक को टी०सी० पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करावें तथा इसका अनुमोदन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से कराकर संबंधित को पाबन्द करें, ताकि विद्यार्थियों को टी०सी० प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो।</p> <p>2. “राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा— द्वितीय स्तर” (कक्षा—8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु) का आयोजन।</p> <p>3. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व उन्नयन एवं कौशल शिविर का आयोजन।</p>

शिविरा पंचांग : जून—2019

रविवार	30	2	9	16	23
सोमवार		3	10	17	24
मंगलवार		4	11	18	25
बुधवार		5	12	19	26
गुरुवार		6	13	20	27
शुक्रवार		7	14	21	28
शनिवार	1	8	15	22	29
कार्य दिवस	10	रविवार 05	अवकाश 15	उत्सव 03	

01 से 18 जून	ग्रीष्मावकाश
05 जून	ईदुल फितर (अवकाश— चन्द्र दर्शनानुसार)
06 जून	महाराणा प्रताप जयन्ती (अवकाश उत्सव)
19 जून	1. ग्रीष्मावकाश उपरांत शिक्षण कार्य पुनः प्रारम्भ। 2. SDMC की कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन एवं सत्र पर्यन्त कार्य योजना का अनुमोदन।
19 से 30 जून	प्रवेशोत्सव—द्वितीय चरण का आयोजन
21 जून	अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस (उत्सव)
28 जून	भामाशाह जयन्ती (उत्सव), राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन
30 जून	SDMC की कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना को अन्तिम रूप दिया जाना।

नोट : माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतियोगिता का राज्य स्तर पर आयोजन ।